प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), मध्य प्रदेश

सत्यमेव जयते

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT-I), MADHYA PRADESH
Audit Bhavan, Jhansi road

Local Audit Party : AMG-III/2024-25 (Q3)/CA on functioning of Jiwaji University (Lead Party)
Auditee Unit Name : REGISTRAR JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
Dated : 18-Nov-24

Audit enquiry reference : #23 (AENQ-650839)

श्री संयुक्त कुलसचिव

19/11/24.

Subject: विषय:-रैगिंग के निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित न हो पाना ।

(कृपया मूलत: उत्तर सहित वापिस करे)

UGC विनियमन 2009 का उद्देश उच्च शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या को इसके सभी रूपों में समाप्त करने का है। विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय स्तर पर एंटी-रैगिंग कमेटी, एंटी-रैगिंग स्क्वाड और रैगिंग मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2023 में एंटी-रैगिंग कमेटी और एंटी-रैगिंग स्क्वाड का गठन किया और फरवरी 2024 में नोडल अधिकारी नियुक्त किया। विनियमन की कंडिका 6.1. एवं 6.3 में प्रवेश से पहले, प्रवेश के दौरान और शैक्षणिक सत्र के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उठाए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है।

विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2023 में एंटी-रैगिंग समिति, एंटी-रैगिंग स्क्वाड और रैगिंग पर निगरानी रखने वाली सेल का गठन किया और फरवरी 2024 में नोडल अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन, प्रवेश ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस और अन्य प्रवेश से संबंधित दस्तावेजों में विनियमन के अनुसार आवश्यक सामग्री शामिल नहीं की गई। ई-प्रवेश पुस्तिकाएँ/पेम्पलेट्स भी छात्रों को उपलब्ध नहीं कराए गए।

वर्ष 2021-24 में, कुल 5520 छात्र/छात्रा पंजीकृत हुए थे, किन्तु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में छात्रों और उनके माता-पिता द्वारा एंटी-रैगिंग की शपथ पत्र जमा नहीं की गई और न ही ऑनलाइन दायित्व का पालन नहीं किया गया। रैगिंग पर ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging पर नहीं किया गया है। रैगिंग और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए हॉस्टल, कैंटीन और रिक्रिएशन क्लब की अचानक जांच नहीं की गई और न ही एंटी-रैगिंग कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। 2023-24 में एक रैगिंग की घटना हुई।

कृपया ज्ञापन में दर्शाये गए आकडों एवं तथ्यों की पुष्टि कर, बिन्दुवार वांछित अभिलेखों सहित अपने अभिमत से अवगत करावें-

1. UGC के निर्देशानुसार ragging की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम न उठाये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराये.
2. सत्र 2021-22 से 2023-24 तक के Brochers/prospect की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराये यदि UGC विनियमन 2009 की कंडिका 6.1 व 6.3 के बिन्दु शामिल किये गए हो। यदि शामिल नहीं किया गया हो, तो कारणों से अवगत करावें.

To,
REGISTRAR,
REGISTRAR JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

AR (Adm)
19/11